



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, रवालियर

ग्रामीण विविध छतरपुर ४०-८ | २०१७ / २१०४

प्र० को विविध एक / १७

शेरख कल्लू तनय शेरख इदटू खां

निवासी ग्राम पुनगवां तहसील बिजावर,

जिला छतरपुर, मोप्र०

—आवेदक

R.S  
5/7/17

विरुद्ध

मोप्र० शासन

—अनावेदक

R.S  
5/7/17

आवेदन—पत्र अंतर्गत धारा—३२, मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता, १९५९ — न्यायालय  
नायब तहसीलदार, तहसील बिजावर, देवरा मण्डल, जिला छतरपुर, मोप्र० द्वारा  
प्र० को १५९ / अ—९ / १९७८—७९ में पारित आदेश दिनांक १२.१२.१९७८ के  
आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराने कराये जाने बावत् ।

माननीय न्यायालय,

#### विविध आवेदन—पत्र

१— यह कि आवेदक को ग्राम पुनगवां, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर रिथ्त  
खसरा नम्बर ७७ में से रकवा ०.३३५ हैक्टेयर भूमि का पट्टा व्यवस्थापन द्वारा  
आवेदक को दिया गया था। आवेदक उक्त भूमि पर १९७८ से लगभग ३९ वर्ष से  
काबिज है।

२— यह कि, नायब तहसीलदार, तहसील बिजावर जिला छतरपुर ने प्रकरण  
कमांक १५९ / अ—९ / १९७८—७९ में पारित आदेश दिनांक १२.१२.१९७८ द्वारा

164

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक एक / विविध / छतरपुर / भू.रा./ 2017/2104

स्थान दिनांक

कार्यवाहीं तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

17-8-17

आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर नायब तहसीलदार तहसील बिजावर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 159/अ-19/1978-79 में पारित आदेश दिनांक 12.12.1978 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह विविध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा विविध प्रकरण के साथ धारा-5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है।

2—प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक को ग्राम पुनर्गावां तहसील बिजावर जिला छतरपुर स्थित खसरा न0 77 में से रकवा 0.335 है0 भूमि का पटटा व्यवस्थापन नायब तहसीलदार तहसील बिजावर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 159/अ-19/1978-79 में पारित आदेश दिनांक 12.12.1978 द्वारा आवेदक को पटटा दिया गया था, जब से आवेदक उक्त भूमि पर 1978 लगभग 39 वर्ष से काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है, लेकिन आवेदक का नाम नायब तहसीलदार बिजावर के आदेश दिनांक 12.12.1978 पारित किया है उसके उपरंत राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं हो पाया है। इसी से दुखित होकर यह विविध प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3—आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि नायब तहसीलदार बिजावर जिला छतरपुर ने प्रकरण क्रमांक 159/अ-19/1978-79 में पारित आदेश दिनांक 12.12.1978

✓

// 2 //

द्वारा पटवारी पुनर्गंवा को आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये परन्तु पटवारी पुनर्गंवा द्वारा आज तक आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया एवं कम्प्यूटर में खसरा में आज तक पृष्ठियाँ नहीं की गई हैं जिसके कारण आवेदक को सरकारी योजनाओं का लाभ जैसे बीज, खाद, का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अंत में निवेदन किया गया है कि खसरे में तथा राजस्व अभिलेख में नाम अंकित करने का आदेश दिया जावे।

4— आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि इतने वर्ष पश्चात राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराने का आवेदन दिया गया है उसकी पूर्ण जानकारी धारा-5 में देना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा-5 में जानकारी दी गई है वह समाधानकारक होने से ग्राह्य किया जाता है।

5— उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया अध्ययन से स्पष्ट है कि 15.11.78 को आवेदन पत्र दलमोर तनय करीम खां, खलीफ तनय मुनब्बर खां, शेख कल्लू तनय शेख इददू खां, लतीफ खां, शरीफ खां निवासी पुनर्गंवा राजस्व निरीक्षक मण्डल देवरा तहसील बिजावर जिला छत्तीरपुर के निवासीगण ने शासकीय भूमि खसरा नंबरान 11, 62, 77, 78 रकवा कमशः 1.643, 4.381, 4.335, 0.906 हैं पर व्यवस्थापन हेतु प्रकरण पंजीकृत हेतु, लोक उद्घोषणा आपत्तियों हेतु जारी

//3//

किया, खसरा नकल पटवारी प्रतिवेदन, स्थल पंचनामा आदि तलब किया, दिनांक 12.12.78 तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं। पटवारी पुनर्गंवा का प्रतिवेदन स्थल पंचनामा एवं खसरा नकल वर्ष 1975-76 प्रस्तुत की जिस पर आवेदक का कब्जा पाया गया। भूमि नंबरान खसरा में म0 प्र0 शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन क्रमांक 19-1-63 सात-सामान्य 2 दिनांक 4.1.73 के अनुरूप चूंकि आवेदक का कब्जा पटवारी प्रतिवेदन पंचनामा में अरसा 25 वर्ष का होना बताया गया है, पात्रता अनुसार भूमि व्यवस्थापित नायब तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया। पटवारी पुनर्गंवा को रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये गये थे। उपरोक्त विवेचना के आधार पर जब नायब तहसीलदार विजावार द्वारा दिनांक 12.12.78 को व्यवस्थापन के आदेश दिये जा चुके थे तो पटवारी को आदेश का पालन करना चाहिये था। नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.1978 के बाद यदि इस प्रकरण में शासन या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है तो नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.1978 के आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में आवेदक शेख कल्लू खां तनय इदूर खां निवासी ग्राम पुनर्गंवा का खसरा नम्बर 77 का रकवा 0.335 है0 एवं खसरा न0 78 का रकवा 0.906 है0 भूमि राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।



सदस्य